

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-26.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Dr. Ramesh Chand Bind** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **429** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	गौरव पटेल	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		
2	विकास	अभिलाख, मो. 9005643614	9	भदोही
3	वंदना सिंह यादव	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		
4	अंजली कुमारी	जगदीश, मो. 8572942643	4	भदोही
5	आदित्य सिंह	कल्याण सिंह, मो. 9415553433	3	भदोही
6	श्रेयांश	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		
7	अमन	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		
8	अस्मिता बिन्द	विजय कुमार बिन्द, मो. 9889200190	2	भदोही
9	श्वेता बिन्द	अवध कुमार, मो. 9794789261	1	भदोही
10	आदित्य कुमार बिन्द	<b>INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP</b>		

प्रिया ठाकुर


कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

 26/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Ramesh Chand Bind माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, **VARANASI** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

